303 ~~304~~

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड, राँची-2 ।

अधिसूचना संख्या ....67.......... दिनांकः ...01.8.01

बोर्ड ने अपने संकल्प संख्या 52 दिनांक 19.07.2001 के द्वारा पुनरीक्षित दर पर सभी सेवा निवृति के लाभ का भुगतान हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना के द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 124 दिनांक 18.04.2001 को अंगीकृत करते हुए पुनरीक्षित वेतनमान में सेवा निवृति लाभ देने का निर्णय लिया है । तदनुसार पुनरीक्षित वेतन के आधार पर पुनरीक्षित एवं बढ़े हुए दर ~~पर~~ पेंशन, पारिवारिक पेंशन, उपादान एवं पेंशन रुपान्तरण इत्यादि का भुगतान किया जायेगा ।

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड
के आदेश से

30.7.01

(रमेश चन्द्र प्रसाद)
सचिव

अनुः तथैव

ज्ञापांक संख्या ....2064.... दिनांकः ...01.8.01

प्रतिलिपि : अनुलग्नक की प्रति के साथ सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ अग्रसारित ।

उनसे अनुरोध है कि उपर्युक्त अधिसूचना को झारखण्ड गजट में प्रकाशित कराने की कृपा प्रदान करें ।

30.7.01

(रमेश चन्द्र प्रसाद)
सचिव

अनु. - तथैव

ज्ञापांक संख्या ....2064... दिनांकः ...01.8.01.

प्रतिलिपि : अनुलग्नक की प्रति के साथ अध्यक्ष के निजी सचिव/सदस्य(तकनिकी/वित्त)/विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड, राँची को सूचनार्थ अग्रसारित ।

30.7.01

(रमेश चन्द्र प्रसाद)
सचिव

अनु. - तथैव

302

बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना ।
(सामान्य प्रशासन विभाग)

पत्र सं0–XVIII/ADR-301/2000 124 / वि0बोर्ड,पटना दिनांक 18/4/2001

अधिसूचना

बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा वेतन पुनरीक्षण समिति का गठन संकल्प संख्या 43 दिनांक 28.01.2000 द्वारा किया गया था एवं समिति द्वारा वेतन पुनरीक्षण एवं सेवानिवृत्ति के बाद देय लाभ के संबंध में प्रतिवेदन दिनांक 2/10/2000 को समर्पित किया गया । समिति द्वारा वेतन संबंधी जो अनुशंसाएँ की गई थी उस पर आदेश अधिसूचना संख्या 275 दिनांक 24/10/2000 द्वारा सूचित कर दिया गया । पेंशन, पारिवारिक पेंशन तथा उपादान इत्यादि के संबंध में वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसाओं पर बोर्ड द्वारा स्वीकृति 25/01/2001 की बैठक में दी गयी । तत्पश्चात् संकल्प संख्या 7733 दिनांक 24.02.2001 को निर्गत किया गया । वेतन पुनरीक्षण समिति के अनुशंसाओं के उपरान्त पेंशन, पारिवारिक पेंशन, उपादान, इत्यादि पर बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड के सेवी वर्ग के लिए जो निर्णय बोर्ड द्वारा लिया गया है (संकल्प संख्या 7733 दिनांक 24.2.2001) उसमें यह शर्त्त लगाया गया है कि बकाये का भुगतान पर बोर्ड द्वारा राशि की उपलब्धता को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा ।

2. बोर्ड के संकल्प संख्या 5031 दिनांक 06.9.1966 एवं संकल्प संख्या 393 दिनांक 8.12.1987 के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सेवानिवृत्ति का लाभ पर्षद के सेवी वर्ग को उसी तरह दिया जायगा जैसा कि बिहार पेंशन नियमावली में प्रावधान किया गया है । संकल्प संख्या 393 दिनांक 8.12.1987 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 6.11.1987 से पेंशन–सह–सामान्य भविष्य निधि योजना बिहार राज्य विद्युत् पर्षद के कामगारों के लिए लागू होगा ।

301
~~73~~ 71

08/12/1987 के संकल्प में उल्लिखित था कि यदि कोई कामगार अंशदायी भविष्य निधि नियमावली योजना में रहना चाहते हों तब वे 3(तीन) माह के अन्दर अपना विकल्प दे सकते हैं एवं एक बार विकल्प दिये जाने पर इसे अंतिम माना जायगा ।

3. वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा संकल्प संख्या पी0सी0–01/99–11556 वि0पें0 दिनांक 22.12.99, संकल्प संख्या 11557 वि0पें0 दिनांक 22.12.99 एवं संकल्प संख्या 11558 वि0पें0 दिनांक 22.12.99 निर्गत किया गया है । संकल्प संख्या 11556 पेंशन, पारिवारिक पेंशन तथा उपादान 01.01.1996 से किस प्रकार पुनरीक्षित होगा उससे संबंधित है ; संकल्प संख्या 11557 में चर्चा है कि पहली जनवरी 1986 के पूर्व के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों का वैचारिक रूप से वेतन निर्धारण करते हुए किस प्रकार पेंशन/पारिवारिक पेंशन की गणना की जायगी । संकल्प संख्या 11558 में 1 जनवरी 1996 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी का पेंशन का समेकन/पुनरीक्षण किस प्रकार किया जायगा उससे संबंध रखता है ।

4. जैसा कि उपरोक्त कंडिकाओं में स्पष्ट किया गया है बोर्ड के सभी कामगार पेंशन/पारिवारिक पेंशन के हकदार नहीं है । इनके मामले में अंशदायी भविष्य निधि नियमावली के प्रावधान पूर्ववत लागू रहेगा । वित्त विभाग के संकल्प संख्या 11557 दिनांक 22.12.99 में यह स्पष्ट किया गया है कि 01/01/1971, 01.4.1981 एवं 01.01.1986 की तिथियों से किस प्रकार वैचारिक वेतन का निर्धारण किया जायगा । 01.01.1986 के पूर्व बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड के कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण की तिथि तथा बिहार राज्य सरकार के कर्मियों के वेतन पुनरीक्षण की तिथि एक प्रकार नहीं रहा है । उदाहरणस्वरूप **'प्रथम वेज'** बोर्ड का वेतन पुनरीक्षण की तिथि 01.04.1971 है एवं द्वितीय **'वेज बोर्ड'** का वेतन पुनरीक्षण 01.04.1975 से किया गया । दूसरी ओर पदाधिकारियों का वेतन पुनरीक्षण 01.01.1971 एवं 01.04.1981 से बिहार

सरकार के कर्मियों के अनुरूप किया गया है । अतः 01.01.1986 के पूर्व वैचारिक वेतन का निर्धारण बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये आदेशों के अनुसार किया जायगा । यदि कोई स्पष्टीकरण इस संबंध में आवश्यक हो तब वित्त नियंत्रक / उप लेखा निदेशक(बजट) से यह प्राप्त कर लिया जा सकता है ।

5. वित्त विभाग द्वारा निर्गत 22.12.1999 के तीनों संकल्पों को इस आदेश के साथ संलग्न किया जा रहा है ताकि पेंशन एवं वेतन निर्धारण में कोई भी असुविधा न हो । महंगाई राहत की दर एवं प्रभाव की तिथि वित्त विभाग के संकल्प संख्या 11556 दिनांक 22.12.1999 में उल्लिखित है एवं 01.07.1999 के बाद हर छः माह पर जो भी महंगाई राहत की दर बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जायगा, वे लागू होंगे ।

6. बिहार राज्य विद्युत् पर्षद के सेवी वर्गों का वेतन पुनरीक्षण राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरूप 01/01/1996 से वैचारिक रूप से किया गया है लेकिन आर्थिक लाभ 01/04/1997 के प्रभाव से ही अनुमान्य है । बिहार सरकार भी पेंशन, पारिवारिक पेंशन तथा उपादान का भुगतान 01.04.1997 से अनुमान्य किया है एवं फलस्वरूप 01.01.1996 से 31.3.1997 की अवधि के लिए किसी प्रकार की बकाया देय नहीं होगा । बिहार सरकार अध्यादेश जारी कर यह भी निर्णय लिया है कि पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं उपादान का लाभ दिनांक 01/03/1989 के प्रभाव से ही देय समझा जायगा एवं फलस्वरूप यह अध्यादेश बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड के कर्मियों के लिए भी पेंशन के रूपान्तरण के बाद रेस्टोरेशन के मामले में भी लागू होंगे।

7. पूर्व में ही बोर्ड की अधिसूचना संख्या 275 दिनांक 24.10.2000 के अनुसूची–'सी' में यह उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार पुनरीक्षित वेतन की निकासी की जायगी । गठित समिति द्वारा वेतन निर्धारण के पश्चात् ही 01/04/1997 से 4 वेतन वृद्धि के उपरांत देय वेतन वृद्धियों का भुगतान किया जायगा जब वित्त नियंत्रक(अंकेक्षण) द्वारा वेतन निर्धारण संबंधी स्टेटमेंट

अंतिम रूप से जॉच कर लिया जायगा । पुनरीक्षित पेंशन के लिए भी वेतन निर्धारण इसी प्रकार किया जायगा ।

बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में 30.4.2001 से सेवानिवृत्त कर्मियों को ही पुनरीक्षित दर पर सभी सेवानिवृत्ति का लाभ का भुगतान किया जाना है । पुनरीक्षित वेतन के आधार पर पुनरीक्षित एवं बढ़े हुए दर पर पेंशन, पारिवारिक पेंशन, उपादान एवं पेंशन रूपान्तरण का पूर्ण भुगतान उसी तिथि से यानि 01.11.2000 से प्रभावी होगा जिस दिन से पुनरीक्षित वेतन दिया गया है लेकिन बकाया का भुगतान किस्तों में किया जायगा । इस छः महिनों के बकाया भुगतान किस्तों में किया जायगा । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि 30.04.2001 के पूर्व सेवा निवृत्त सभी पेंशन/पारिवारिक पेंशनधारियों को पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन 01.05.2001 के प्रभाव से भुगतान किया जायगा । अतः पेंशन एवं रूपान्तरण हेतु नये प्रपत्र संख्या 4 उन्हीं कर्मियों के द्वारा भरा जायगा जो कि 30.04.2001 या उसके बाद सेवानिवृत्त होंगे ।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के आदेश से

अनु : तथैव ।

(प्रत्यय अमृत)
सचिव

ज्ञाप संख्या 125 /वि0बोर्ड, पटना, दिनांक 18/4/2001

प्रतिलिपिः अनुलग्न की प्रति के साथ सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार को सूचनार्थ अग्रसारित ।

उनसे अनुरोध है कि उपर्युक्त अधिसूचना को बिहार गजट में प्रकाशित कराने की कृपा करें ।

अनु : तथैव ।

(प्रत्यय अमृत)
सचिव

1298

ज्ञाप संख्या 125 /वि0बोर्ड, पटना, दिनांक 18/4/2001

प्रतिलिपिः अनुलग्न की प्रति के साथ अध्यक्ष के अवर सचिव/सदस्य(वित्त एवं राजस्व)/सदस्य(उत्पादन)/सदस्य(संचरण एवं वितरण)/सचिव के आप्त सचिव, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना को सूचनार्थ अग्रसारित ।

अनु : तथैव ।

(प्रत्यय अमृत)
सचिव

ज्ञाप संख्या 125 /वि0बोर्ड, पटना, दिनांक 18/4/2001.

प्रतिलिपिः अनुलग्न की प्रति के साथ सभी महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियन्ता/सभी योजना प्रबंधक/सभी मुख्य अभियन्ता/सभी वित्त नियंत्रक/सभी लेखा निदेशक/निदेशक(सुरक्षा)/वरीय विधि परामर्शी–सह–अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप लेखा निदेशक/सभी उप कार्मिक निदेशक/सभी विद्युत अधीक्षण अभियन्ता/सभी विद्युत कार्यपालक अभियन्ता/सभी अवर सचिव/सभी लेखा पदाधिकारी/सभी उप विधि परामर्शी/सभी सहायक विद्युत अभियन्ता/सभी कार्मिक पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

अनु : तथैव ।

(प्रत्यय अमृत)
सचिव